माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

परीक्षा 2014 की संवीक्षा अथवा उत्तर–पुस्तिका फोटोप्रति प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदन	:	उत्तर–पुस्तिका फोटो प्रति/संवीक्षा
2. परीक्षा का नाम	:	
4. परीक्षार्थी का रोल नम्बर	:	
5. परीक्षार्थी का नाम	:	
6. पिता का नाम	:	

7. आवेदित विषय :

क्र.सं.	विषय का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

8. पहचान हेतु सत्यापित आई.डी. संलग्न करें:
(कोई एक प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर कार्ड)

1	प्रवेश पत्र	
2	आधार कार्ड	
3	पैन कार्ड	
4	वोटर कार्ड	

9. पत्र व्यवहार का पूर्ण पता :

तहसील –

जिला –

पिनकोड –

10. मोबाईल नम्बर :

11. ई–मेल आई.डी. :

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना/विवरण मेरी पूर्ण जानकारी अनुसार पूर्णतया सही है। मैंने स्वयं ने परीक्षा दी है एवं मेरी उत्तर–पुस्तिका के लिये ही आवेदन किया है। किसी अन्य अभ्यर्थी के लिये आवेदन नहीं किया। मैंने नियमों/निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर ही आवेदन किया है जिन्हें स्वीकार करता हूँ।

परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर

परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आई.डी. का मूल से सत्यापन कर लिया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।

हस्ताक्षर कियोस्क धारक/वि.से. केन्द्र प्रभारी

<u>संवीक्षा/उत्तर पुस्तिका फोटोप्रति प्राप्त करने के नियम/शर्ते</u>

1. **<u>आवेदन प्रक्रिया</u>** – अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र (बोर्ड वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पद उपलब्ध) भरकर नियत तिथि तक उसके साथ स्वप्रमाणित आई.डी. संलग्न कर ई–मित्र कियोस्क अथवा बोर्ड के विद्यार्थी सेवा केन्द्र पर प्रस्तुत करेंगे।
2. उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/प्रवेशिका/वरिष्ठ उपाध्याय की मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा में प्राप्तांकों की पुनः गणना (Re-Totalling) कराने का शुल्क रूपये 200/– एवं उत्तर पुस्तिका की फोटो प्रति प्राप्त करने हेतु शुल्क रूपये 400/– प्रति विषय है।
3. परीक्षार्थी को आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त सेवा चार्जेज रू. 5/– प्रति विषय संवीक्षा हेतु तथा रू. 5/– प्रति उत्तर–पुस्तिका की फोटो प्रति हेतु अतिरिक्त भुगतान कर रसीद प्राप्त करनी होगी। शुल्क जमा की रसीद के आधार पर निस्तारण होगा। अतः शुल्क जमा रसीद पर अंकित विवरण की जांच अवश्य कर ले।
4. ई–मित्र/विद्यार्थी सेवा केन्द्र आवेदन पत्र के आधार ऑन–लाईन पूर्ति कर आवेदन पत्र को एक वर्ष तक सुरक्षित रखें। बोर्ड को नहीं भिजवावे।
5. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आई. डी. का ई–मित्र/विद्यार्थी सेवा केन्द्र स्तर पर सत्यापन किया जावे।
6. आवेदन पत्र की सभी प्रविष्ठियां मय पते व पिन कोड के आवश्यक रूप से पूर्ण करें। अपूर्ण आवेदन की स्थिति में परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
7. **<u>अति महत्वपूर्ण</u>** – प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक ही अवसर मिलेगा। अतः परीक्षार्थी स्वयं भली–भांति सुनिश्चित होकर एक ही आवेदन में सभी विषय अंकित करें। परीक्षार्थी किसी भी विषय विशेष के लिये उत्तर–पुस्तिकाओं की फोटो–प्रति या संवीक्षा दोनों में से किसी एक में आवेदन कर सकता है। उत्तर–पुस्तिका फोटो प्रति भेजने से पूर्व बोर्ड स्तर पर संवीक्षा की जाती है। अतः पृथक से संवीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।
8. परीक्षार्थी स्वयं के लिये ही आवेदन करे। अन्य किसी के लिये आवेदन करना दण्डनीय/आपराधिक माना जावेगा।
9. संवीक्षा में उत्तर–पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) नहीं किया जाता है। केवल संवीक्षा के उत्तर पुस्तिका में प्रदत्त अंको के योग में भिन्नता, अन्दर–बाहर (केजिंग) में भिन्नता, योग में त्रुटि, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिये गये हों, उत्तर पुस्तिका/अंकतालिका में प्रदत्त अंकों में भिन्नता आदि–आदि त्रुटियों का निवारण करने की दृष्टि से की जाती है। नियमानुसार पुनः मूल्यांकन (Re-evaluation) का प्रावधान नहीं है।
10. संवीक्षा प्रार्थना पत्र परीक्षा परिणाम घोषणा तिथि के दस दिवस की अवधि में किसी भी निकटतम ई–मित्र कियोस्क या बोर्ड के विद्यार्थी सेवा केन्द्र पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप बोर्ड की वेबसाईट www.rajeduboard.nic.in पर उपलब्ध है। **<u>डाक से प्रार्थना–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।</u>** यदि परिणाम 10 मई को घोषित होता है तो अंतिम दिनांक 20 मई होगी। **<u>आवेदन–पत्र मय शुल्क के ई–मित्र कियोस्क/विद्यार्थी सेवा केन्द्र पर अंतिम तिथि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। उसके पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।</u>**
11. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण क्रमानुसार किया जायेगा। इसमें लगने वाले यथोचित समय के लिये आवेदक कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा।
12. उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध होने पर ही आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जावेगी। यदि कतिपय कारण से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं हई तो कार्य समाप्ति पर प्राप्त शुल्क अथवा आंशिक उत्तर–पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने पर आंशिक प्राप्त शुल्क लौटा दिया जावेगा। इस हेतु आवेदक किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहेगा। परीक्षार्थी द्वारा आवेदित विषयों की ही संवीक्षा/उत्तर पुस्तिका की फोटोप्रति उपलब्ध कराई जावेगी। अतः परीक्षार्थी विषयों का चयन ध्यानपूर्वक करें।
13. उत्तर–पुस्तिका की फोटोप्रति प्राप्त होने के बाद यदि परीक्षार्थी को आपत्ति है तो मय विवरण/प्रमाण के 15 दिवस में निदेशक (गोपनीय) को आपत्ति प्रस्तुत कर दें। निर्धारित तिथि विगत होने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
14. आवेदित विषय में अंक परिवर्तित अथवा अपरिवर्तित रहने की स्थिति में शुल्क नहीं लौटाया जायेगा।
15. यदि परीक्षार्थी पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किया गया है तो उसे पूरक परीक्षा के लिये (संवीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा किये बगैर) निर्धारित अवधि में आवेदन कर देना चाहिये।
16. संवीक्षा का परिणाम सामान्य डाक द्वारा व उत्तर–पुस्तिका की फोटोप्रति स्पीड–पोस्ट से भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त बोर्ड वेबसाईट पर भी वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाती है। यदि परीक्षार्थी को नवम्बर अन्त तक सूचना प्राप्त न हो तो निदेशक (गोपनीय) से पत्र व्यवहार अथवा व्यक्तिशः सम्पर्क कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर लें। दूरभाष पर माध्यमिक परीक्षा के लिये 0145–2623646 एवं उच्च माध्यमिक 0145–2623776 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
17. संवीक्षा के फलस्वरूप बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और विवादास्पद स्थिति में न्यायक्षेत्र अजमेर होगा।
18. परीक्षार्थी को आवेदन पत्र के साथ मूल अंकतालिका/इन्टरनेट से प्राप्त अंकतालिका की प्रति संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर।